भारत सरकार
भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय
लोक उद्यम विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 4941
दिनांक 23 जुलाई, 2019 को उत्तर देने के लिए

सीएसआर निधि

4941. श्री डी० रविकुमार:

क्या **भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार के पास नेवेली लिग्नाइट कार्पोरेशन लिमिटेड द्वारा 2017-18 के दौरान कार्पोरेट सामाजिक दायित्व निधि के अंतर्गत व्यय की गई राशि के संबंध में कोई आंकड़ा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सीएसआर से अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के कितनी बसावटें लाभान्वित हुए हैं?

उत्तर
भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्री
(श्री अरविन्द गणपत सावंत)

(क) एवं (ख) : लोक उद्यम विभाग में उपलब्ध सूचना के अनुसार कोयला मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण के अन्तर्गत एक केन्द्रीय सरकारी लोक उद्यम, नेवेली लिग्नाइट कारपोरेशन इंडिया लिमिटेड (एनएलसी इंडिया लिमिटेड) ने वर्ष 2017-18 के दौरान सीएसआर कार्यकलापों पर स्वास्थ्य-देखरेख, स्वच्छता, महिला सशक्तिकरण, शिक्षा, लैंगिक समानता, अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़ा वर्गों के कल्याण सहित अन्य क्षेत्रों पर रुपये 43.59 करोड़ खर्च किया है।

(ग) : एनएलसी इंडिया लिमिटेड ने वर्ष 2017-18 के दौरान जवाहर साइंस कॉलेज, नेवेली के अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति के छात्रों के लिए शिक्षण शुल्क के रूप में सहायता प्रदान की है। इन वर्गों के 625 छात्रों ने सीएसआर के अन्तर्गत लाभ प्राप्त किया।

***